

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ का. : 07759-221273, नि. 07759-222504, फ़ैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 1887
प्रति,

कोरबा, दिनांक 28/02/2017

नोडल अधिकारी/ वनमंडलाधिकारी
रायगढ़ वनमंडल रायगढ़

विषय :- Diversion of 153 448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda-Dharamjaygarh Transmission line in the District of Raigarh, Korba in the State of Chhattisgarh ।
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Trans/8080/2014

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क. /भू-प्रबंध/विद्युत/497-135/163 दिनांक 17.12.2017
2. वनमंडलाधिकारी, जांजगीर चांपा वनमंडल का पत्र क. /870 दिनांक 23.2.2017
3. सहा महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमि. भैसमा कोरबा का पत्र क. 5598 दिनांक 27.02.2017

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है संदर्भित पत्र क. 1 के द्वारा कोरबा वनमंडल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ओ.ए. 1443, ओ.ए. 1465, पी 1140 में घनत्व अधिक होने के आपत्ति उठाई गई थी ।

संदर्भित पत्र क. 2 एवं 3 के द्वारा जांजगीर चांपा वनमंडल में कक्ष क. आर.एफ. 62 के 40.409 हे. क्षेत्र का 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण परियोजना डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट, केएमएल फाईल एवं सैप फाईल की सी. डी. तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है ।

अतः वर्तमान स्थिति में क्षेत्र का 10 वर्षीय परियोजना निम्नानुसार है :-

क्र	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्र.	परियोजना का रकबा हे. में	रिमार्क
1	कोरबा	करतला	ओ.ए. 1467	12.749	परियोजना तैयार कर पूर्व में प्रेषित की गई है ।
2	जांजगीर चांपा	बलौदा	आर.एफ. 62	40.409	नवीन चयनित क्षेत्र
			योग	53.158	

इस प्रकार कोरबा वनमंडल में प्रभावित 26.5789 हे. क्षेत्र के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रकबा 53.158 हे. की परियोजना तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है ।

वनमंडलाधिकारी

कोरबा वनमंडल कोरबा

कोरबा, दिनांक 28/02/17

क्रमांक/तक.अ/ 1888

प्रतिलिपि - 1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

2. वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वनमंडल धरमजयगढ़ की ओर कर लेख है कि पूर्व चयनित क्षेत्र कक्ष क. पी 1140, ओ.ए. 1449 का घनत्व अधिक होने के कारण निरस्त किया गया है ।

3. वनमंडलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमंडल की ओर उनके पत्र क. 870 दिनांक 23.2.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित ।

वनमंडलाधिकारी

कोरबा वनमंडल कोरबा